Mail id :
govind.jaiswal@ias.nic.in
abhishek.singh87@gov.in

For Office Use Only

Ministry of Health & Family Welfare

Meta Data for Documents

Name of Division:

S.no	Item	Information to be Displayed
1.	Document title to be displayed on website	Recruitment Rules for the post of Deputy Assistant Director (Entomology)
2.	Division/Autonomous Body (Contact E-mail-id)	VBD Section
3.	Language (English)	English and Hindi
4.	Form of Document (e.g. pdf,doc,xls) (zip format not allowed)	DOC
5.	Reference URL or Detailed PDF	
6.	Validity	30 days
7	Name & Email-Id of Sender	Shoran Singh, Email id - shorn.singh27@gov.in
8	Section of Website, where it is to be uploaded	Programme/Reports/News & Highlights/Key Developments/Disease Alerts/Events & Announcements/Vacancies

- **It is Certified that the Content have been Checked . The Content need to be following (kindly tick the appropriate option):**
  1. New [ ]
  2.Update [ ]
  3. Delete [ ]

Signature: Shoran Singh
Name of Nodal Officer: SHORAN SINGH
Designation: Under Secretary
Email-id: shorn.singh27@gov.in
Contact No: 23061436

Contents Approved by (JS/AS)

Signature:
Name:
Designation: JS/AS
Email-id:
Contact No:

(रेखा शुक्ला)
(REKHA SHUKLA)
संयुक्त सचिव
Joint Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

For Uploading on Website

Level 1:

Level 2:

Level 3:

Level 4:

(Signature of Web Information Manager)

Uploaded on:

Uploaded by:

सं.एन.-1-46/2019-प्रशा.I

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी प्रभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु उप सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु उप सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 508 डी विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते shorn.singh27@gov.in and sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक:

(शोरन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061436

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2021

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय फाइलेरियासिस नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (श्रेणी-I और श्रेणी-II, गैर चिकित्सा राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1976 के अधिक्रमण में, जहां तक इनका संबंध उप- सहायक निदेशक (कीटविज्ञान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में उप-सहायक निदेशक (कीटविज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : -

(1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली, उप- सहायक निदेशक (कीटविज्ञान) समूह 'क' पद भर्ती नियम 2021 कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय- विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-सहायक निदेशक (कीट विज्ञान)	02*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-10 – (56100 – 177500/- रुपये)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: आयु-सीमा की निर्धारक तिथि वह होगी जो भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले	अनिवार्य: i.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कीटविज्ञान के साथ प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या जन स्वास्थ्य कीटविज्ञान में स्नाकोत्तर डिग्री। ii.केंद्र या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों की किसी भी योजना के अंतर्गत शिक्षण और/ या अनुसंधान और/ या चिकित्सा कीटविज्ञान अथवा जन-स्वास्थ्य कीटविज्ञान अथवा वैक्टर जनित रोगों के क्षेत्र में नियंत्रण का तीन वर्ष का अनुभव।

					उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)	वांछनीय: केंद्र सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत उन्नत चिकित्सा कीट- विज्ञान/ वैक्टर जीव विज्ञान और नियंत्रण/ जन- स्वास्थ्य कीटविज्ञान या वैक्टर जनित रोगों में प्रशिक्षण। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो कारण लेखबद्ध करके इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर जाने या लबीं बीमारी या अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थिति के कारण एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए पद रिक्त होने पर रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता हैं जो- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारित हैं या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (47600-151100 रूपए/-) में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं, और (ख) कॉलम संख्या (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह – 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. संयुक्त सचिव (संबंधित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक, (संबंधित)/ निदेशक (प्रशासन एवं सर्तकता)- सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(फाइल सं.1-46/2019-प्रशा.I)

(शौरेन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार